

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या २३९/२०२० (एम.ए.सी.पी.सं.२३८/२०१७)

श्रीमती जयन्ती आदिवासी आदि बनाम राजेन्द्र आदि

०६.०१.२०२१

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती जयन्ती आदिवासी, उमा आदिवासी, कु. आरती, कु. पल्लवी, संदीप, कु. सपना, कपिल व श्रीमती चिरौंजी द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा लोक अदालत में पारित निर्णय/आदेश के अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा प्रतिकर धनराशि जमा कर दी गयी है। न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की गयी है न ही कोई स्थगन आदेश है। अतः प्रार्थीगण ने याचना की है कि न्यायाधिकरण के आदेशानुसार उन्हें धनराशि दिलाए जाने की कृपा की जाए। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थिया श्रीमती जयन्ती आदिवासी का शपथपत्र, अपने-अपने आधार कार्ड व बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं।

प्रार्थीगण मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा एम.ए.सी.पी. सं. २३८/२०१८ श्रीमती जयन्ती आदिवासी आदि बनाम राजेन्द्र यादव आदि व प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावलियों एवं कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया श्रीमती जयन्ती आदिवासी ने अपने शपथपत्र में प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है। मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक ०१.११.२०२० को ई लोक अदालत में सुलहनामा के आधार पर ₹ ७,५०,००० हेतु एवार्ड पारित किया गया है, जिस प्रतिकर धनराशि में से याचीगण सं. १ लगायत ८ को क्रमशः ३०, १०, १०, १०, १०, १०, १०, १० प्रतिशत धनराशि प्राप्त होनी है। याची सं. २ लगायत ७ वर्तमान में भी अवयस्क है अतः याचीगण सं. २ लगायत ७ की प्रतिकर की धनराशि उनकी वयस्कता तक के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा योजना में जमा की जानी है तथा याची सं. १ व ८ को प्राप्त होने वाली प्रतिकर धनराशि में से २५-२५ प्रतिशत भाग की धनराशि उक्त प्रत्येक याचीगण को आर.टी.जी. एस./नेफ्ट के जरिए उन्हें अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त होनी है तथा उनकी शेष ७५-७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति धनराशि की ३-३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जानी है। कार्यालय आख्या के अनुसार चेक रजिस्टर के क्रमांक १६० पर पी.एन.बी. झोकनबाग, झाँसी में ₹ ७,५०,००० जमा होने का इन्द्राज है। प्रार्थीगण ने अपने बैंक खाते की पास बुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं। अतः मेरे विचार से प्रार्थीगण प्रकरण में जमाशुदा उपरोक्त धनराशि न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. २३८/२०१८ (प्रकीर्ण वाद सं. २३९/२०२० श्रीमती जयन्ती आदिवासी आदि बनाम राजेन्द्र आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि मय अर्जित ब्याज को प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Applicat/ petitioner	Amount in Rs.	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1. Smt. Jayanti Adivasi	168750	22.5	Annuity for 3 years	—	Any Nationalized Bank	—
1. Smt. Jayanti Adivasi	56250	7.5	Elect. Mode RTGS/ NEFT	9235201001 0925	Syndicate Bank Govind Churaha Jhansi	SYNB0009 235
2. Uma Adivasi (Minor)	75000	10	FD up to her majority carrying highest interest through natural guardian/mother Smt. Jayanti Adivasi	—	Any Nationalized Bank	—
3.Kum. Arti Adivasi Minor	75000	10	FD up to her majority carrying highest interest through natural guardian/mother Smt. Jayanti Adivasi	—	Any Nationalized Bank	—
4.Kum.	75000	10	FD up to her	—	Any	—

Pallavi Adivasi Minor			majority carrying highest interest through natural guardian/mother Smt. Jayanti Adivasi		Nationalized Bank	
5.Sandee p Adivasi Minor	75000	10	FD up to her majority carrying highest interest through natural guardian/mother Smt. Jayanti Adivasi	—	Any Nationalized Bank	—
6Kum. Sapna Adivasi Minor	75000	10	FD up to her majority carrying highest interest through natural guardian/mother Smt. Jayanti Adivasi	—	Any Nationalized Bank	—
7.Kapil Adivasi Minor	75000	10	FD up to her majority carrying highest interest through natural guardian/mother Smt. Jayanti Adivasi	—	Any Nationalized Bank	—
8. Smt. Chironji	56250	7.5	Annuity for 3 years Annuity	—	Any Nationalized Bank	—
8. Smt. Chironji	18750	2.5	Elect. Mode RTGS/ NEFT	9235201001 0930	Syndicate Bank Govind Churaha Jhansi	SYNB0009 235
Total	750000	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी